



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1278) पटना, वृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० वि०सं०वि०-16/2025-3161/वि०सं०— “बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव ।

[वि०संवि०-13/2025]

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025

प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय, रोजगार और सेवा की स्थिति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपाय प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

- (1) इस अधिनियम को बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।
- (4) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा :
 - (क) बिहार राज्य में काम करने वाले एग्रीगेटर, प्लेटफॉर्म या प्राथमिक नियोक्ता या भारत भर में किसी अन्य राज्य में काम करने वाले या विदेशों में अनुसूची-I में निर्दिष्ट बिहार में एक या अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले
 - (ख) धारा 10 के तहत बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रत्येक गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगार पर।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे:

- (क) “एग्रीगेटर” से अभिप्रेत होगा एक डिजिटल मध्यस्थ या एक बाजार जो किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता को विक्रेता या सेवा प्रदाता के साथ जोड़ता है, जिसमें कोई भी इकाई शामिल है जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक डिजिटल बिचौलियों के साथ समन्वय करती है;
- (ख) “अपील प्राधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;
- (ग) “स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने वाली प्रणाली” से अभिप्रेत है ऐसी प्रणालियाँ जो एग्रीगेटर द्वारा अनुरक्षित मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना स्वचालित साधनों द्वारा निर्णय लेती हैं;
- (घ) “बोर्ड” से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड;
- (ङ) “कंपनी” से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी;
- (च) “निधि” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि;
- (छ) “गिग कामगार” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से अर्जन करता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर है और जो संविदा पर काम करता है जिसका परिणाम ऐसी संविदा में दी गयी शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर प्रदत्त दर पर भुगतान होता है और इसमें अनुसूची-1 में दिये गये सभी पीस-रेट कार्य शामिल हैं;
- (ज) “शिकायत निवारण पदाधिकारी” से अभिप्रेत है धारा 24 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;
- (झ) “अधिसूचना” से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और अधिसूचित शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ञ) “पे-आउट” से अभिप्रेत है एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए किसी भी कार्य या प्रदान की गयी सेवा के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को किया गया कोई अंतिम भुगतान;
- (ट) “प्लेटफॉर्म” से अभिप्रेत है किसी सेवा प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाली कोई व्यवस्था जिसमें भुगतान के बदले में एक निश्चित स्थान पर व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का संगठन शामिल होता है, और इसमें स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने की प्रणाली का उपयोग डाटा पर निर्भर करने वाला मानव निर्णय शामिल है।
- (ठ) “प्लेटफॉर्म कामगार” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म कार्य में लगा हुआ है या कर रहा है;
- (ड) विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

- (ढ) "प्राथमिक नियोक्ता" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भुगतान हेतु किसी कार्य विशेष के लिए सीधे गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को संलग्न करता है;
- (ण) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम;
- (त) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;
- (थ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (द) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ध) "बर्खास्त" या "बर्खास्तगी" से अभिप्रेत है डिजिटल प्लेटफॉर्म तक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार की पहुंच को भौतिक रूप से प्रतिबंधित करना, जिसमें ऐसे कामगारों की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध करना, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार को निलंबित करना, या प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अयोग्य बनाना शामिल है।
- (न) "यूनिक आईडी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को जारी की गई यूनिक पहचान संख्या;
- (प) "कल्याण निधि शुल्क" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन उद्गृहीत शुल्क;
- (फ) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में समनुदेशित किये गए होंगे।

3. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना।—

1. राज्य सरकार, ऐसी तारीख को, जो वह अधिसूचना द्वारा नियत करे, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से अभिहित एक निगमित निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।
2. बोर्ड, जैसा आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उसके द्वारा लागू की जाने वाली सामान्य या क्षेत्र-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ योजनाओं को अधिसूचित करेगा।
3. बोर्ड का मुख्यालय पटना में होगा।

4. बोर्ड की संरचना।—

1. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
 - i. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार पदेन अध्यक्ष।
 - ii. सरकार के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार पदेन सदस्य।
 - iii. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या उनका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - iv. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, वित्त विभाग या उनके नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - v. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग या उनका नामित जो संयुक्त सचिव, बिहार सरकार के पद से नीचे नहीं हो।
 - vi. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, परिवहन विभाग या उसका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो।
 - vii. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सरकार के सचिव, समाज कल्याण विभाग या उनका नामित जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं है।
 - viii. श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि-पदेन सदस्य।
 - ix. श्रम आयुक्त, बिहार सरकार-पदेन सदस्य।
 - x. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जो बोर्ड के पदेन सदस्य/सचिव के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के कार्यकारी प्रभारी के रूप में कार्य करेगा।
 - xi. राज्य सरकार द्वारा नामित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के चार प्रतिनिधि।
 - xii. राज्य सरकार द्वारा नामित एग्रीगेटरों/प्लेटफॉर्मों के चार प्रतिनिधि।
 - xiii. गिग और प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में अनुभव या विशेषज्ञता रखने वाले नागरिक समाज के दो प्रतिनिधि।
2. डेटा संग्रह और आईटी प्रणालियों के क्षेत्र में एक तकनीकी विशेषज्ञ को इनपुट प्रदान करने के लिए जब भी आवश्यक हो, आमंत्रित किया जा सकता है।
3. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड में उसके नामित सदस्यों का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के रूप में होना अनिवार्य होगा।
4. नामित सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन साल का होगा, जिसे यदि श्रम संसाधन विभाग इसे नए मनोनयन होने तक उचित समझता है तो आगे बढ़ाया जा सकता है।

5. बोर्ड के किसी सदस्य की निरहता और हटाया जाना।—

1. किसी भी नामित व्यक्ति को ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त या बनाए नहीं रखा जाएगा जिसे दिवालिया विनिर्णित किया गया हो, अस्वस्थ दिमाग वाला घोषित किया गया हो, या नैतिक अधमता समाहित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
2. लंबे समय तक अनुपस्थिति (लगातार तीन बैठकों से अधिक) के आधार पर या यदि समझा जाता है कि सदस्य ने पद का दुरुपयोग किया है तो नियमों में विहित कारण बताने का अवसर देने के अध्यक्षीन बोर्ड किसी नामित सदस्य को हटा सकता है।
3. उप-धारा (2) के अधीन मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या निष्कासन के कारण होने वाली किसी भी रिक्ति की स्थिति में, ऐसी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार शेष अवधि के लिए नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी।
4. बोर्ड का कोई भी नामित सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हाथ से लिखित रूप में किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और उसका पद इस्तीफा स्वीकार करने पर खाली हो जाएगा।
5. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के नामित सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, जो—
 - क. राज्य सरकार का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी है; या
 - ख. किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है; या
 - ग. पागल पाया जाता है या अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है; या
 - घ. नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध है या किया गया है; या
 - ङ. वस्तु का एक एग्रीगेटर या स्वामी या निर्माता है जिसने इस अधिनियम के किसी प्रावधान का डिफॉल्ट या उल्लंघन किया है।

6. बोर्ड की बैठकें।—

1. बोर्ड अपने कार्य के संचालन के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक करेगा। विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष कम से कम तीन दिनों की पूर्व सूचना पर एक विशेष बैठक बुला सकता है।
2. अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (श्रम संसाधन विभाग) अध्यक्षता करेंगे। यदि दोनों अनुपलब्ध हैं, तो श्रम आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3. निर्णय बहुमत के मत पर आधारित होंगे। टाई के मामले में, पीठासीन अधिकारी के पास निर्णायक मत होगा।
4. बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यता का एक-तिहाई होगा जिसमें प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का कम से कम एक प्रतिनिधि और एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का एक प्रतिनिधि मौजूद होना अनिवार्य होगा।
5. नामित सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए यथा विहित भत्तों के हकदार होंगे।

7. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।—**बोर्ड :**

- i. इस अधिनियम के अधीन प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का निबंधन सुनिश्चित करेगा।
- ii. इस अधिनियम के अनुसार एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का निबंधन सुनिश्चित करेगा।
- iii. कल्याण निधि शुल्क के संग्रह को प्रमाणित करने के लिए एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित करेगा।
- iv. कामगार अंशदान पर आधारित सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना और लाभों के वितरण का निरीक्षण करना।
- v. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनुश्रवण करना और राज्य सरकार को सुधार की अनुशंसा करना।
- vi. सुनिश्चित करेगा कि प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की पहुँच लाभों तक है और संबंधित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कामगारों के साथ उनके जुड़ाव को सुविधाप्रद बनाएगा।
- vii. योजनाओं के निर्माण, समीक्षा और कार्यान्वयन पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।
- viii. विशिष्ट श्रेणियों (उदाहरण के लिए, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति) के लिए योजनाएं तैयार करेगा और तदनुसार सरकार को सलाह देगा।
- ix. संबंधित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों पर संकलित डेटा एकत्र करेगा।
- x. सरकार द्वारा यथा प्रदत्त या अधिसूचित किन्हीं अन्य कार्यों को करेगा।
- xi. शिकायत निवारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में, बोर्ड मामले को सक्षम न्यायालय को सरकारी मामले के रूप में भेजेगा।

xii. बोर्ड के पास अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में जुर्माना लगाने की शक्ति होगी।

8. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के अधिकार।— एक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

- (क) कार्य अवधि पर ध्यान दिए बिना किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग पर राज्य सरकार के साथ एक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद को पंजीकृत कराना, और सभी प्लेटफॉर्म पर लागू एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा;
- (ख) बोर्ड द्वारा यथा विहित किसी भी न्यूनतम लेनदेन या जुड़ाव की शर्तों के अधीन, किए गए योगदान के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 24 में यथा विनिर्दिष्ट शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना; बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई भी बात किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत किसी भी अधिकार या लाभ को प्रभावित नहीं करेगी:

बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मचारों को प्रदत्त किसी अधिकार, लाभ या संरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

9. बोर्ड के पदाधिकारी और कर्मचारी।—

1. बिहार श्रम सेवा का एक अधिकारी, जो संयुक्त श्रम आयुक्त के पद से अन्यून हो, इस अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार कार्यकारी कार्यों को करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2. राज्य सरकार बोर्ड की सहायता के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी प्रदान करेगी।
3. सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के समग्र अधीक्षण में कार्य करेंगे।
4. इन पदाधिकारियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें यथा विहित होंगी।

10. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का निबंधन।—

1. राज्य सरकार एक एग्रीगेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के निबंधन के लिए प्रक्रिया और रीतिविहित करेगी।
2. बिहार राज्य के भीतर काम करने वाला प्रत्येक एग्रीगेटर कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर या इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड के साथ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करेगा।
3. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म इस अधिनियम के प्रारंभ से साठ दिनों के भीतर यथा विहित बोर्ड को सभी ऑनबोर्ड या पंजीकृत कामगारों का अपना पूरा डेटाबेस प्रदान करेंगे।
4. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत सभी कामगारों के लिए, संबंधित डेटा को बोर्ड के साथ ऑनबोर्डिंग के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा। एग्रीगेटर उप-धारा (1) के अधीन प्रदान किए गए डेटा में किसी परिवर्तन, अर्थात् प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की संख्या में वृद्धि या कमी के बारे में बोर्ड को इस रीति से अद्यतन करेंगे कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
5. बोर्ड अपने संविदात्मक विवरण के साथ बिहार में प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का एक विस्तृत डेटाबेस का रखरखाव करेगा। प्रत्येक कामगार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि एकत्र किए गए डेटा का उपयोग केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा।
6. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को एक राज्य अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी निबंधन स्थिति तक पहुंच और सत्यापन का अधिकार होगा।
7. पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को इस अधिनियम के अधीन एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं होगा।

11. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म का निबंधन।—

1. प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म इस अधिनियम के प्रारंभ से साठ दिनों के भीतर विहित रीति से बोर्ड के साथ निबंधन करेंगे।
2. बोर्ड इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी एक मनोनित पदाधिकारी के नाम और पदनाम के साथ बिहार में संचालित एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के एक पंजी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख रखाव करेगा।
3. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म की पंजी को बोर्ड के आधिकारिक वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
4. इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

12. उचित अनुबंध का दायित्व और अनुबंध टेम्पलेट।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बीच किए गए सभी अनुबंध इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेंगे।
2. अनुबंध आसानी से समझ में आने वाली सरल भाषा में लिखे जाएंगे, और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य स्थानीय भाषा में उपलब्ध होंगे, जिसे प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार जानते हैं।
3. एक बार अनुबंध में प्रविष्ट हो जाने के बाद, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार को अनुबंध की शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में प्रस्तावित परिवर्तन से चौदह से अन्ध्रन दिन पूर्व अधिसूचित करेगा और तदनुसार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार के पास पूर्व अनुबंध के अधीन उनके जारी हकों के लिए बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।
4. एक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार उचित कारण के साथ, प्रति सप्ताह गिग कार्य अनुरोधों की एक विनिर्दिष्ट संख्या को अस्वीकार या नामंजूर कर सकता है, जैसा कि प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार और एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के बीच आनुबंधिक समझौते में बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के प्रदान किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय-समय पर अनुबंधों के लिए क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देश प्रकाशित करेगी।
6. राज्य सरकार अनुरोध पर एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा भेजे गए अनुबंध टेम्पलेट्स की समीक्षा कर सकती है, ताकि प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार के साथ उचित अनुबंध सुनिश्चित किया जा सके।

13. स्वचालित अनुश्रवण और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के संबंध में पारदर्शिता।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कामगारों और उपयोगकर्ताओं दोनों को सरल भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य स्थानीय भाषा सहित भाषाओं में उनकी स्वचालित प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक रूप से सूचित करना चाहिए। इस सूचना को काम करने की स्थिति, कमाई, किराया निर्धारण, ग्राहक फीडबैक और अन्य प्रासंगिक डेटा पर प्रभाव को आवश्यक रूप से आच्छादित करना चाहिए।
2. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म स्थापित किसी भी स्वचालित प्रणाली द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।
3. उसके द्वारा जैसे और जब मांग की जाए— एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्मों को संबंधित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में, सरल भाषा में और ऐसी भाषा में जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई अन्य स्थानीय भाषा शामिल हो, आवश्यक रूप से सूचित करनी चाहिए।
 - क. मुख्य मापदंड, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, कार्य के आवंटन, कार्य के वितरण, किए गए कार्य के मूल्यांकन और कार्य से इनकार करने के आधार को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं;
 - ख. एग्रीगेटर द्वारा स्थापित रेटिंग प्रणाली, यदि कोई हो;
 - ग. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का वर्गीकरण, प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, लॉग-इन समय, या किसी अन्य मानदंड के आधार पर, जहां इस प्रकार के वर्गीकरण को एग्रीगेटर द्वारा लागू किया जाता है;
 - घ. एग्रीगेटर के पास उपलब्ध संबंधित प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का व्यक्तिगत डेटा, ऐसा व्यक्तिगत डेटा जो एग्रीगेटर द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाता है;
 - ङ. कोई अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी।
4. खाता निष्क्रियता, निलंबन या कार्य के अवसरों में महत्वपूर्ण कमी के मामलों में, प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर प्रभावित कामगार को निम्नलिखित प्रदान करेंगे:
 - (क) विशिष्ट कारणों को रेखांकित करने वाला एक लिखित स्पष्टीकरण;
 - (ख) निर्णय तक पहुँचाने वाले डेटा या कार्य;
 - (ग) एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय की समीक्षा के लिए अपील या अनुरोध करने का अवसर।
5. सूचना और समीक्षा का अधिकार : प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदमीय और प्लेटफॉर्म निर्णयों की समीक्षा का अनुरोध करने का अधिकार होगा। प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर्स को निवारण के लिए आवश्यक रूप से एक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें मानव निरीक्षण और समय पर समाधान शामिल हो।

14. कार्य की समाप्ति।—

1. एक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और सात दिनों की न्यूनतम पूर्व सूचना के साथ वैध, दस्तावेजी कारण प्रदान करने के बाद ही किसी प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को बर्खास्त कर सकता है। हालांकि, उन परिस्थितियों में जहां अंतिम उपयोगकर्ता के लिए खतरा (शारीरिक या मानसिक) है, तत्काल बर्खास्तगी की अनुमति दी जा सकेगी।
2. प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटरों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के बीच प्रविष्ट किए गए अनुबंधिक समझौते में प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटरों द्वारा अनुबंध की समाप्ति या प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को निष्क्रिय करने के लिए आधारों की एक विस्तृत सूची शामिल होगी।

15. आय सुरक्षा।—

1. प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर, भुगतान कटौती के मामलों में, किए गए कार्य के लिए निकाले गये बीजक में ऐसी कटौती के कारणों के बारे में प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा।
2. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पे-आउट बिना किसी देरी के किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दो भुगतान अवधि के बीच का अंतर सेवा आपूर्ति की तारीख से 7 दिनों से अधिक नहीं होगा।

16. कौशल विकास और वित्तीय समावेशन।—

1. बिहार कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के साथ बिहार कौशल विकास या जैसा अधिसूचित हो सके ऐसे अन्य योजनाओं के साथ उपयुक्त कौशल विकास, उच्च कौशल और पुनर्कौशल के लिंकेज को नियोजकता, उत्पादकता तथा वित्तीय तरलता बढ़ाने की दृष्टि से सुगम बनाएँ।
2. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों से निर्मित सामूहिक, कॉपरेटिव या कामगार यूनियन को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नियमावली द्वारा उपबंध किये जा सकेंगे, जिसमें शामिल होंगे— वैधानिक निबंधन की सुविधा, उधार एवं अनुदान तक पहुँच, क्षमता निर्माण सहायता और उस तरह के अन्य पोषण जो उनके प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

17. उचित कार्य शर्तें।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करेंगे और बनाए रखेंगे, जहां तक यथोचित व्यावहारिक हो, जो प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य जोखिम न हो।
2. वे यथा विहित सभी लागू क्षेत्र-विशिष्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करेंगे।
3. यदि कोई एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म किसी जिले के भीतर 100 या अधिक गिग/प्लेटफॉर्म कामगारों को संलग्न करता है, तो ऐसे एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को जिले के भीतर प्रमुख स्थानों पर प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए निर्दिष्ट आराम बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे विश्राम बिंदुओं के विनिर्देश और सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

18. संपर्क बिंदु का नामांकन।—

1. प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों की सहायता के लिए प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में एक व्यक्ति को नामित करेगा।
2. कामगार को हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य स्थानीय भाषा में संपर्क के निर्दिष्ट बिंदु के साथ संवाद करने का अधिकार होगा। और प्रश्न और स्पष्टीकरण के लिए संपर्क बिंदु का संपर्क विवरण कार्यकर्ता की प्रोफाइल के तहत प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन पर आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

19. लेखा एवं लेखापरीक्षा।—

1. बोर्ड विहित प्रपत्र में उचित खाते, रिकॉर्ड और खातों का वार्षिक विवरण संधारण करेगा।
2. निधि खातों की लेखा परीक्षा बिहार के महालेखाकार के कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।
3. बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार विहित समय सीमा में लेखापरीक्षित खाते और रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी।
4. बोर्ड लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करेगा।
5. लेखापरीक्षा के लिए प्रशासनिक व्यय निधि द्वारा विहित सीमा तक वहन किया जाएगा।
6. निधि में सभी धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक के पास संधारित की जाएगी।

20. प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि।—

1. राज्य सरकार पंजीकृत कामगारों के लाभ के लिए बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना करेगी, जिसमें शामिल हैं:
 - i. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कल्याण निधि शुल्क से प्राप्त सभी रकम;
 - ii. किसी भी विहित सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए व्यक्तिगत कामगारों द्वारा किया गया योगदान;
 - iii. राज्य और केंद्र सरकारों से सहायता अनुदान;
 - iv. कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधानों के अधीन प्राप्त राशियाँ;
 - v. अनुदान, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त रकम;
 - vi. इस अधिनियम की धारा 28 के तहत प्राप्त कंपाउंडिंग शुल्क।
 - vii. कोई अन्य विहित स्रोत।
2. बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्वधीन, प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि से वार्षिक प्राप्तियों के 5% से अनधिक राशि खर्च कर सकता है।

21. गारंटीकृत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज।—

- (1) इसके अधीन बनाए गए बाद के नियमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रदत्त यथा विहित सामाजिक सुरक्षा लाभ, पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों को बढ़ाया जाएगा, जबकि वे ई-श्रम पोर्टल पर उनके निबंधन और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अनुसार एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म के लिए कार्य व्यवस्था में लगे हुए हों। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :
 - (क) ड्यूटी पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु के मामले में, उपयुक्त प्राधिकारी से मृत्यु के कारण के संबंध में प्रमाणीकरण के अध्वधीन, मृत व्यक्ति के परिवारों को 4.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान किया जाएगा।
 - (ख) ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के मामले में, एक सप्ताह से अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होने पर और एकमुश्त ₹16000/- प्रति व्यक्ति और एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले प्रति व्यक्ति एक मुश्त ₹5400/- का भुगतान किया जाएगा। यह उपयुक्त प्राधिकारी से दुर्घटना के कारण के संबंध में प्रमाणन के अध्वधीन है। (नोट: आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे घायल व्यक्ति इस मद के तहत राहत के पात्र नहीं होंगे।)
 - (ग) जब ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण विकलांगता की सीमा 40% से 60% के बीच हो तो एकमुश्त ₹74000/- प्रति व्यक्ति, जब विकलांगता की सीमा 60% से अधिक हो तो ₹2.50 लाख प्रति व्यक्ति, यह विकलांगता की सीमा और श्रेणी के संबंध में किसी अस्पताल या सरकार के औषधालय से डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण के अध्वधीन है।
- (2) प्रत्येक महिला प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कार्यकर्ता गर्भावस्था और प्रसव के कारण होने वाली अनुमानित नौकरी हानि के नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए मातृत्व लाभ के लिए पात्र होगी। इस लाभ की गणना राज्य सरकारों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जाएगी, या नियमों द्वारा अन्यथा विहित की जाएगी।
- (3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार कल्याण बोर्ड की सहमति से, सामाजिक सुरक्षा लाभों की राशि बढ़ा सकेगी।

22. कल्याण निधि शुल्क।—

1. सरकार एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म से एक कल्याण निधि शुल्क की उगाही करेगी जो प्रत्येक लेनदेन में एक कामगार को किए गए भुगतान के एक प्रतिशत से कम नहीं होगा और न ही दो प्रतिशत से अधिक होगा, या यथा अन्यथा अधिसूचित।
2. अनुसूची-I में सूचीबद्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग शुल्क दरें विहित की जा सकेंगी।
3. शुल्क अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से और नियमों के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर एकत्र किया जाएगा।
4. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म विहित रीति से प्रत्येक तिमाही के अंत में निधि में एकत्र शुल्क जमा करेंगे।
5. शुल्क का भुगतान करने में विफलता राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दरों के अनुसार, वास्तविक भुगतान प्राप्त होने तक नियत तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज को आकर्षित करेगी।

6. इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि, जिसमें कोई ब्याज या जुर्माना शामिल है, को सार्वजनिक मांग के रूप में माना जाएगा और भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसी तरह से महसूस किया जा सकेगा।

23. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस)।—

1. एक मंच पर प्रत्येक लेनदेन को राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और अनुश्रवण की जाने वाली एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पर मैप किया जाएगा।
2. कामगारों को किया गया प्रत्येक भुगतान और काटा गया शुल्क विहित रीति से सीएफएमएस में दर्ज किया जाएगा।
3. कर्मचारी स्तर पर शुल्क संग्रह और व्यय का विवरण सीएफएमएस के माध्यम से प्रकट किया जाएगा।
4. सीएफएमएस डेटा संरक्षण पर प्रचलित केंद्रीय और राज्य विधानों का पालन करेगा।

24. शिकायतों का निवारण।—

1. राज्य सरकार कामगार शिकायतों के समाधान के लिए अधिसूचना द्वारा एक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त करेगी।
2. कोई भी कामगार इस अधिनियम के तहत हकदारियों, भुगतानों या लाभों से संबंधित किसी भी मुद्दे के संबंध में शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज कर सकेगा। (शिकायत पोर्टल का लिंक प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के आवेदन पर आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।)
3. शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जा सके।
4. शिकायत निवारण पदाधिकारी एक जाँच पूरी करेगा और आवेदन के तीस दिनों के भीतर शिकायत पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

25. अपीलीय प्राधिकारी।—

1. संयुक्त श्रम आयुक्त (या समकक्ष रैंक) के संवर्ग में एक पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2. शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के नब्बे दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
3. अपीलीय प्राधिकारी अपील से साठ दिनों के भीतर अपील पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
4. अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील का निपटान करेगा।

26. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के विरुद्ध विवादों का समाधान।—

1. कम से कम एक सौ (100) रजिस्ट्रीकृत कामगारों वाला प्रत्येक एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म एक आंतरिक विवाद समाधान समिति का गठन करेगा।
2. समिति की संरचना और प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जा सकेगी।
3. समिति तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत का समाधान करेगी।
4. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, एक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केंद्रीय अधिनियम 14) के अधीन तंत्र के माध्यम से अपने विवादों का समाधान मांग सकेगा।

27. प्रकटीकरण बाध्यता।—

1. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण तंत्र (धारा 24) के बारे में जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से सुलभ बनाएँगे।
2. इसी तरह, विवाद समाधान तंत्र (धारा 24) का विवरण प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
3. प्रकाशन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जा सकेगी।

28. अपराधों का संज्ञान।—

1. प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से न्यून कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध पर विचारण नहीं करेगा।
2. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानती और शमनीय हैं।
3. इस अधिनियम के तहत अपराधों पर विचारण में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रासंगिक अध्यायों में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।
4. मामलों पर विचारण के लिए अधिकारिता पटना होगा।

29. सामान्य शास्ति और दंड।—

1. कोई भी एग्रीगेटर, प्लेटफॉर्म, प्राथमिक नियोक्ता, या कंपनी जो इस अधिनियम या उसके संबंधित नियमों/विनियमों के तहत विहित कल्याण निधि शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास या 2 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि सजा के बाद उल्लंघन जारी रखा जाता है तो सजा की अवधि छह माह तक बढ़ा दी जाएगी या एक लाख रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना या दोनों लगाया जाएगा।
2. इस अधिनियम के तहत आवश्यक कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट या बयान प्रस्तुत करने में विफल होने या इनकार करने पर जुर्माने से दंडनीय होगा जो 3 महीने के कारावास तक या ₹50,000 के जुर्माने के साथ बढ़ सकता है।

30. डेटा संरक्षण और गोपनीयता।—

1. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत एकत्र किए गए प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के सभी व्यक्तिगत डेटा को विधिपूर्वक, निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से संसाधित किया जाए।
2. कोई भी व्यक्तिगत डेटा कार्यकर्ता की पूर्व, सूचित और स्पष्ट सहमति के बिना एकत्र या संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधि के तहत अन्यथा आवश्यक न हो।
3. डेटा संग्रह इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण, कल्याण, वितरण और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक तक सीमित होगा।
4. कल्याण बोर्ड व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग या उल्लंघन से बचाने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करेगा।
5. डेटा तक पहुँच केवल वैध उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी।
6. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कार्यकर्ता को अधिकार होगा
 - (क) उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच;
 - (ख) गलत डेटा में सुधार या अद्यतन का अनुरोध; तथा
 - (ग) लागू कानून के अधीन सहमति वापस लेना।
7. कार्यकर्ता की स्पष्ट सहमति या कानूनी प्राधिकरण के बिना व्यक्तिगत डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म कंपनियां शामिल हैं।
8. इसके बावजूद, यदि डेटा को डेटा प्रत्ययी के साथ साझा किया जाता है, तो एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत प्रावधान के अनुसार डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में डेटा प्रत्ययी पर मुकदमा करने का आदेश होगा।
9. अन्वेक्षा और शिकायत निवारण
 - (क) राज्य सरकार अनुपालन के अनुश्रवण और शिकायतों के समाधान के लिए कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक डेटा सुरक्षा पदाधिकारी अभिहीत करेगी।
 - (ख) डेटा से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और समाधान करने की प्रक्रियाएँ नियमों द्वारा विहित की जाएँगी।

31. अपराधों का शमन।—

1. इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध, अभियोजन के संस्थित होने से पहले या बाद में, कथित अपराधी द्वारा एक आवेदन पर, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकेगी, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत समझौता राशि के भुगतान से समझौता किया जा सकेगा।
 - (क) परंतु, उपयुक्त सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त विनिर्दिष्ट समझौता राशि में संशोधन कर सकेगी:
 - (ख) परंतु, एक ही अपराधी द्वारा दूसरी बार किए गए समान प्रकृति के अपराध न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य होंगे:
 - i. अभियोजन से पहले समझौता उस अपराध के संबंध में आगे की कार्यवाही से अपराधी को पूरी तरह से मुक्त कर देगा।
 - ii. ऐसे मामलों में जहाँ अभियोजन शुरू हो गया है, शिकायत निवारण पदाधिकारी मामले को वापस लेने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकेगा, जिसके परिणाम होगा संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत मुक्त करना या छोड़ देना।

32. एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म द्वारा वार्षिक प्रस्तुति और रिपोर्टिंग।— एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म बोर्ड को विहित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक विस्तृत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

33. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।—

1. बोर्ड इस अधिनियम के तहत अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट संकलित करेगा और इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
2. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट यथाशीघ्र व्यवहारिक हो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाए।

34. अतिरिक्त प्रावधान के रूप में कार्य।— इस अधिनियम के उपबंध वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

35. एक से अधिक लाभों की हकदारी।— इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया कोई भी अधिकार या पात्रता उस समय लागू किसी अन्य विधि के तहत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कामगारों को दिए गए किसी भी लाभ या सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगी।

36. नियमों को बनाने की शक्ति।—

1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
2. ये नियम बिना किसी सीमा के निम्नलिखित पहलुओं को आच्छादित कर सकेंगे
 - i. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया;
 - ii. मनोनित बोर्ड सदस्यों के लिए भत्ते की दरें;
 - iii. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाएं और उनके रजिस्टर का बाद में प्रकाशन;
 - iv. स्वचालित निर्णय लेने वाली प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया;
 - v. क्षेत्र-विशिष्ट व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक;
 - vi. खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षित रिपोर्ट की आवधिक प्रस्तुति;
 - vii. निधि मुद्राओं का उचित संचालन;
 - viii. कल्याण निधि शुल्क के लिए संग्रह और जमा प्रक्रियाएँ;
 - ix. एग्रीगेटर्स से बकाया राशि की वसूली की रीति;
 - x. सीएफएमएस को प्रस्तुत डेटा का प्रारूप और अखंडता;
 - xi. शिकायत और अपील निपटान की प्रक्रिया;
 - xii. आंतरिक विवाद समाधान समिति की संरचना और प्रक्रिया;
 - xiii. अपराधों के शमन की प्रक्रिया;
 - xiv. एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया;
 - xv. इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक या पूरक कोई अन्य मामले।

37. विनियम बनाने की शक्ति।—बोर्ड इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित विषयों के लिए विनियम बना सकेगा:

1. धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार एग्रीगेटर्स के रजिस्ट्रीकरण की रीति।
2. वह विधि जिसके द्वारा एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म को सभी ऑनबोर्ड कामगारों का डेटाबेस प्रस्तुत करना होगा।
3. कामगार डेटा को समय पर अद्यतन और साझा करने की प्रक्रिया।
4. बोर्ड द्वारा प्रदत्त कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई अतिरिक्त मामले।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो समय-समय पर कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

39. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-I की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

अनुसूची I
(एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म प्रदत्त सेवाएँ)

1. राइड शेयरिंग सेवाएँ
2. खाद्य और किराना आपूर्ति सेवाएँ।
3. लॉजिस्टिक्स सेवाएँ।
4. वस्तुओं और/या सेवाओं की थोक / खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केटप्लेस सेवाएं (बाजार और सूची प्रतिमान मॉडल दोनों), चाहे व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) या व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी)।
5. व्यावसायिक गतिविधि प्रदाता सेवाएँ।
6. स्वास्थ्य सेवाएँ।
7. यात्रा और आतिथ्य सेवाएं।
8. सामग्री और मीडिया सेवाएं।
9. कोई अन्य वस्तु और/या सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति और इंटरनेट की पहुँच ने रोजगार के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और पारंपरिक नौकरियों की सीमित उपलब्धता है, वहीं गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का उभरता हुआ वर्ग रोजगार की नई प्रणाली को विकसित कर रहा है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक वैसे लोग होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी, स्वतंत्र और अनुबंध आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। यह कार्य प्रणाली अब भारत की आर्थिक संरचना का एक अहम हिस्सा बन गई है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स द्वारा रोजगार सृजन में योगदान के साथ-साथ गिग कामगारों को समय, स्थान और कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। यह उन्हें पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के साथ सामंजस्य बनाने का अवसर देता है। गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के योगदान से शहरीकरण और सेवा विस्तार, महिला सशक्तिकरण उद्यमिता एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार को बढ़ावा मिला है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कार्यप्रणाली एवं उनकी संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी के कारण उनके समक्ष सामाजिक सुरक्षा की कमी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से आच्छादित नहीं होने, कार्य की अनिश्चितता, कानूनी सुरक्षा का अभाव जैसी कई चुनौतियों को भी उत्पन्न किया है।

बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 में सन्निहित बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 के लागू होने के उपरांत राज्य के प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान लागू हो सकेंगे। साथ ही उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

(संतोष कुमार सिंह)
भार-साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक-23.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1278-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>